बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक 401 /पटना, दिनांक 01/10/19

प्रेषक,

के० के० पाठक,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– "जल–जीवन–हरियाली" अभियान अंतर्गत निर्गत संकल्प संख्या 442496 दिनांक 27.09.19 का क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त संकल्प का अधोहस्ताक्षरी द्वारा अध्ययन किया गया। उक्त संकल्प से स्पष्ट है कि 24524 करोड़ रू० के तीन वर्षीय "जल–जीवन–हरियाली" अभियान में सबसे ज्यादा काम लघु जल संसाधन विभाग को करना है। तीन वित्तीय वर्षों में लघु जल संसाधन विभाग को लगभग 13610 करोड़ रू० की योजनाएँ पूर्ण करनी है।

इस क्रम में अधोहस्ताक्षरी की कुछ जिज्ञासाएँ हैं जो निम्न प्रकार है, इसपर नोडल विभाग के तौर पर आपके स्तर पर एक बैठक किया जाना उचित होगा।

(क) आहर–पईन एवं तालाबों का जीर्णोद्धार का जिम्मा संकल्प के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास विभाग और लघु जल संसाधन विभाग को करना है। एक एकड़ तक के तालाब, पोखर, आहर और पईन ग्रामीण विकास विभाग को करना है और उससे बड़े लघु जल संसाधन विभाग को। इसमें एक समस्या है कि एक एकड़ का तालाब, पोखर इत्यादि समझ में आता है किन्तु आहर–पईन किलोमीटर्स में मापी जाती है। कुछ जिलों में तो आहर एवं पईन में अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण से यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि कौन सी आहर–पईन इस विभाग को करनी है और कौन सी आहर–पईन ग्रामीण विकास विभाग को करनी है।

अभी हाल ही में लघु जल संसाधन विभाग ने पिछले वर्ष एवं इस वित्तीय वर्ष में बड़े पैमाने पर आहर–पईन अपने बजट से लिया था किन्तु कई जगहों पर विभाग को कुछ समस्याएँ आई। मुख्यतः यह अड़चन आई कि जिन आहर–पईन को विभाग द्वारा लिया जाना था उसमें से कई में मनरेगा से पिछले दो या तीन वर्षों में काम हुआ था। अतः ऐसी बहुत कम आहर–पईन रह गई हैं जिसमें अब काम किया जाना होगा। इस वित्तीय वर्ष में हमें 3180 करोड़ रू० की आहर–पईन एवं तालाब लेने हैं। मुझे शक है कि इतनी भारी संख्या में हमारे पास ऐसे आहर–पईन मिलेंगे जिसमें मनरेगा से काम नहीं हुआ होगा। ऐसे में काम के Duplication होने की संभावना बहुत बढ जाती है। इसकी प्रबल संभावना है कि एक ही आहर–पईन को पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा से लिया गया हो और उसे अब लघु जल संसाधन विभाग ने ले लिया। इसका Vice-versa भी उतना ही संभव हो सकता है। अभी हाल ही में अरवल जिले में इस तरह की शिकायत मिली

कि जिसमें किसी शिकायतकर्ता ने यह कहा कि एक आहर–पईन में मनरेगा से पिछले वर्ष ही काम हुआ था और अगले वर्ष उसमें लघु जल संसाधन विभाग ने काम ले लिया। अब मुखिया और शिकायतकर्ता का कहना यह था कि उन लोगों ने मिट्टी का काम किया है जबकि हमारे संवेदक का यह कहना था कि वे स्थल पर गए तो पाया कि वहाँ पर मिट्टी का काम पहले से नहीं किया हुआ था और संवेदक द्वारा ही सारा काम कराया।

अतः यह सिद्ध करना मुश्किल है कि किसने फर्जी बिल बनाये। विभाग इस प्रकरण की जाँच करा रहा है। पर अरवल जिले के प्रकरण से सबक लेते हुए हमें ऐसी Robust व्यवस्था करनी होगी ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृति नहीं हो। इसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बतौर नोडल विभाग आप एक बैठक बुलायें जिसमें अधोहस्ताक्षरी अपने मुख्य अभियंता के साथ उपस्थित होंगे और उसपर विस्तार से चर्चा कर एक Guideline बने, जिससे कि Duplication का काम नहीं हो।

(ख) मेरी अगली जिज्ञासा यह है कि जो "जल–जीवन–हरियाली" मिशन बना है उसके तहत् लगभग 113 लोगों को नियुक्त किया जायेग। मुझे यह जानना है कि क्या इन 113 लोगों में से लघु जल संसाधन विभाग को भी कुछ कर्मी Deputation पर प्रदान किया जायगा? यदि नही तो हमें अब जल विकास मिशन से पर्याप्त संख्या में Young Professional को रखना होगा।

बतौर नोडल विभाग आपसे अनुरोध है कि एक बैठक बुलाने की कृपा की जाय ताकि आहर–पईन के संबंध में दोनों विभागों के बीच में ताल–मेल स्थापित हो सके और एक Robust Guideline बने ताकि अरवल जिला जैसा प्रकरण दोबारा न हो।

विश्वासभाजन,

(के० के० पाठक)
प्रधान सचिव